संख्या—पी0—27 / 14—2—2015—800(87) / 2015

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी,
उ0प्र0,लखनऊ।

वन अनुभाग—2 **लखनऊ, दिनांक 31 जुलाई, 2015**

विषयः— जनपद उन्नाव के तहसील—हसनगंज के ग्राम रजापुर वन ब्लाक की 0.064 हे0 आरक्षित वन भूमि पर रजापुर सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या—54 / 11— सी— यू0पी0— 031 / 2015, दिनांक 07—7—2015 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से जनपद उन्नाव के तहसील—हसनगंज के ग्राम रजापुर वन ब्लाक की 0.064 हे0 आरक्षित वन भूमि पर रजापुर सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा—2 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु शासन से अनुरोध किया गया है।

2— उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त निम्न कमियां पायी गयी हैंः—

(1) प्रस्ताव के पृष्ठ—27 / 28 पर रक्षित प्रमाण पत्र छायाप्रति है, मुहर रहित हस्ताक्षरित हैं।
(2) प्रस्ताव के पृष्ठ—34 पर रक्षित एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र मुहर रहित है।
(3) प्रस्ताव के पृष्ठ—38 पर रक्षित मैप पर प्रस्तावक के हस्ताक्षर / मुहर नहीं है।
(4) प्रस्ताव में रक्षित टोपोशीट मानचित्र प्रस्तावक विभाग और प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर / मुहर नहीं है।

कृपया उपरोक्तानुसार त्रुटियों का निराकरण कर संशोधन प्रस्ताव शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव